पत्रांक–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–...............................(9A)/रा०,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–......................

विषय :– अंचल अधिकारी के न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्वीकृत वादों में सन्निहित समान दस्तावेज के खाता–खेसरा का दाखिल–खारिज हेतु पुनः प्राप्त आवेदन को संवीक्षा (Scrutiny) के स्तर पर ही अस्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधान के अन्तर्गत किसी जमाबंदी या उसके किसी भाग में हित अर्जित करने वाला रैयत/भू–धारी द्वारा चालू खतियान, अभिधारी खाता, पंजी, जमाबंदी पंजी तथा खेसरा पंजी के किसी भाग के संबंध में उसके नाम दाखिल–खारिज करने के लिए संबंधित अंचल अधिकारी के न्यायालय में याचिका/वाद दायर किया जाता है। राज्यान्तर्गत भूमि के दाखिल–खारिज हेतु अंचल कार्यालय स्तर पर प्राप्त याचिका एवं इसके निष्पादन की ऑनलाइन व्यवस्था वर्ष 2018 से लागू है। पोर्टल के माध्यम से दाखिल–खारिज के आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने, आम एवं खास सूचना के पश्चात संबंधित पक्षों की सुनवाई के आधार पर दाखिल–खारिज प्रक्रिया को सम्पन्न किये जाने की कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर सॉफ्टवेयर/पोर्टल में कतिपय परिवर्तन कर संसूचित किये गये हैं।

विभाग स्तर पर दाखिल–खारिज से संबंधित अस्वीकृत वादों की समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि कतिपय अंचलों में दाखिल–खारिज के अस्वीकृत वादों की संख्या काफी अधिक है। हितबद्ध रैयतों/भू–धारियों द्वारा दायर दाखिल–खारिज याचिका/वाद के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात् पुनः उसी खाता एवं खेसरा का नये सिरे से दाखिल–खारिज हेतु आवेदन किया जाता है। इस मामले में अंचल अधिकारी के न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्वीकृत वाद का उल्लेख करते हुये भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करने के सुझाव के साथ दाखिल–खारिज वाद को अस्वीकृत किया जाता है, जिससे दाखिल–खारिज वादों की अस्वीकृति के मामलों की संख्या में वृद्धि होती रहती है।

उल्लेखनीय है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित्त प्रावधान के आलोक में दाखिल–खारिज के मामले में अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है।

दाखिल–खारिज के अस्वीकृत वादों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए किसी रैयत के समान दस्तावेज के खाता, खेसरा के पूर्व में अस्वीकृत वादों के पुनः प्राप्त आवेदन को संवीक्षा के स्तर पर ही अस्वीकृत किए जाने का प्रावधान विभागीय सॉफ्टवेर में किया गया है। संवीक्षा के दौरान राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदन के पूर्व में अस्वीकृत होने के आशय के साथ अपना प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को संवीक्षा के स्तर पर हीं पूर्व में अस्वीकृत वाद का उल्लेख करते हुये भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करने के सुझाव के साथ अस्वीकृत किया जाएगा।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में ऑनलाइन दाखिल–खारिज आवेदनों को निष्पादित करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 27/6/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–........................(9A)/रा0 दिनांक............................

प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 27/6/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–........................(9A)/रा0 दिनांक............................

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह), 27/6/25
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध मार्गदर्शन –07–10/2024–.....2296.....(9A)/रा0 दिनांक.......01/7/25

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह), 27/6/25
सचिव।